

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक:

1 SEP 2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न नीतियों यथा टाउनशिप पॉलिसी-2010, राजस्थान स्लम ड्वलपमेंट पॉलिसी-2010, ट्रांसफल ड्वलपमेंट राईट्स पॉलिसी-2012, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 आदि का वर्तमान परिपेक्ष्य में परीक्षण कर आवश्यक संशोधन उपरांत नई नीतियां बनाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. डॉ. जी. एस. संधु (सेवानिवृत्त आईएएस), सलाहकार, | अध्यक्ष |
| नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग | |
| 2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. मुख्य नगर नियोजक | सदस्य |
| 4. श्री एच एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, (नगर नियोजन विभाग) | सदस्य |
| 5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) | सदस्य |
| 6. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नविवि | सदस्य सचिव |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनोज गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत्त आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री एच एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, (नगर नियोजन विभाग)
9. अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

219